16

समाहरणालय, मुंगेर।

(जिला योजना कार्यालय)

आदेश

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत माननीय सांसद श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह (मुंगेर लोक सभा क्षेत्र) के सांसद निधि के अधीन अनुशंसित योजना का प्राक्कलन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर द्वारा तकनीकि अनुमोदन के उपरांत प्रशासनिक स्वीकृति हेतु पत्रांक 2206 दिनांक 30.07.2013 द्वारा प्राप्त हुई है। माननीय सांसद द्वारा प्राप्त प्राक्कलन पर सहमति दिनांक 29.06.2013 द्वारा प्रदान की गयी है।

सम्यक विचारोपरांत तकनीकि अनुमोदन के आलोक में स्तम्भ 5 में योजना पर अंकित राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है। योजना कार्यान्वियन बिहार लोक निर्माण संहिता के आलोक में निविदा के माध्यम से कराई जाएगी। कार्य आरंभ की सूचना प्राप्त होने पर राशि विमुक्त की जाएगी।

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रखंड	तकनीकि अनुमोदित राशि	प्रशासनिक स्वी0 राशि
1	2	3	4	5
1	सदर प्रखंड के महुली पंचायत के अन्तर्गत आदर्श ग्राम में ब्रजभुषण के घर से गंगा किनारे बजरंगबली स्थान के पहले तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य	सदर मुंगेर	299400.00	299400.00

उपरोक्त योजना का कार्यान्वयन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर निम्नलिखित शर्त्तो के अधीन कराना सुनिश्चित करेंगे।

शर्त्ते–

1. कार्यकारी एजेंसी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर यह सुनिश्चित करेंगे कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शिका के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।
2. कार्यकारी एजेंसी योजनाओं का कार्य निविदा के माध्यम से प्राक्क्लन के विशिष्टियों के अनुरूप कराना सुनिश्चि करेंगे तथा वे इसके लिये पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
3. राशि का संधारण एवं व्यय वित्तीय नियमावली के तहत संधारित किया जाय।
4. किसी भी परिस्थिति में इस राशि का विचलन अयन्त्र नही होगा।
5. कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कार्य स्थल पर कार्य प्रारंभ कराये जाने के साथ साईन बोर्ड लगाया जायेगा जिसपर योजना का नाम, योजना का मद, प्राक्क्लित राशि कांर्यकारी एजेंसी का नाम, संवेदक का नाम तथा योजना पूर्ण होने की तिथि अंकित की जायेगी।
6. योजना का कार्य प्रारंभ किये जाने के पूर्व इसका रंगीन फोटो लिया जाय तथा इसे अभिलेख मे रखा जाय। इसी प्रकार एक रंगीन फोटो कार्य के मध्य में तथा एक फोटो योजना पूर्ण होने के पश्चात लिया जाय और इसे अभिलेख के साथ संलग्न कर रखा जाय।
7. योजना का कार्य अगले तीन माह में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
8. योजना का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की तीसरी तारीख तक निश्चित रूप से जिला योजना कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

9. कार्यकारी एजेंसी कार्य प्रारंभ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि योजना स्थल सरकारी जमीन हो एवं वर्णित कार्य पिछले पांच वर्षो से किसी अन्य मद से नही कराया गया हो।

10. यदि संबंधित भूमि गैरमजरूआ आम ज्ञात होती है तो कार्यान्वयन एसेंसी कार्य प्रारंभ करने के पूर्व यह सूनिश्चित कर लेगे कि राज्य सरकार के स्तर से भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति प्राप्त हो गई है।

11. योजना स्थल किसी अन्य विभाग की भूमि हो तो कार्यकारी एजेंसी उस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही योजना का कार्य प्रारंभ करायेगे।

12. योजना स्थल अंशतः या पूर्णताः वन क्षेत्र में पड़ता हो तो कार्यकारी एजेंसी वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे।

13. कार्यकारी एजेंसी यह सुनिश्चित हो लेंगे योजना स्थल विवाद रहित हो।

जिला योजना पदाधिकारी
मुंगेर।

ज्ञापांक .... / जि0यो0, दिनांक ....

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला योजना पदाधिकारी
मुंगेर।

ज्ञापांक .... / जि0यो0, दिनांक ....

प्रतिलिपि– क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ समर्पित।

जिला योजना पदाधिकारी
मुंगेर।

ज्ञापांक .... / जि0यो0, दिनांक ....

प्रतिलिपि– माननीय सांसद, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, बुद्धा कॉलोनी, पूर्वी बोरिंग रोड पटना को सूचनार्थ समर्पित।

जिला योजना पदाधिकारी
मुंगेर।

ज्ञापांक 365 / जि0यो0, दिनांक 20/8/13

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/08/013

जिला योजना पदाधिकारी
मुंगेर।